महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) द्वितीय किश्त के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(7) वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगें।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 37,44,45,00,000 (रुपये सैंतीस अरब चौवालीस करोड़ पैंतालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 2801058000900 रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E10-95-X2025-26-दिनांक:19-1-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संजय शुक्ला
संयुक्तसचिव।

संख्या-07/2026/001-1171(1)-24-1-2025-51-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिनिम्नलिखितकोसूचनार्थएवंआवश्यककार्यवाहीहेतुप्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखाएवहकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनीनायडूमार्ग, प्रयागराज-211001
2- महालेखाकार, (लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनीनायडूमार्ग, प्रयागराज-211001
3- कार्यालयप्रधानमहालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिटभवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्यकोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्डबुक।

आज्ञासे,

संजय शुक्ला
संयुक्तसचिव।